"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2021 — श्रावण 6, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (श्रावण 6, 1943)

क्रमांक-7476/वि. स./विधान/2021 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) जो बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, सरल क्रमांक 130 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"131. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) की अनुसूची के निर्वचन के संबंध में कतिपय शंकाएं व्यक्त की गई हैं. ऐसी शंकाओं को दूर करने तथा राज्य शासन के अधीन कुछ लाभ के पदों को, उक्त अधिनियम की अनुसूची के मद 19 की सारणी में सम्मिलित करने के लिए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ऐसे पदों के धारक, विधानसभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निरर्हित न हो.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 23 जुलाई, 2021

रविन्द्र चौबे,
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) की अनुसूची के मद 19 के सरल क्रमांक 129 एवं 130 का सुसंगत उद्धरण :-

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा 3 (1) देखिये]

* * * * * * * * * * * * * *

19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद :-

* * * * * * * * * * * * * *

129. छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण

130. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.